



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 81-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 27, 2026 (JYAISTHA 6, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 27 मई, 2026

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की निम्नलिखित सेवा, समय सीमा, जिसके भीतर यह नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण	भूजल निकालने के लिए बोरवेल लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति	45 दिन	सम्बन्धित मुख्य तकनीकी अधिकारी	मुख्य जलविज्ञानी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)****Notification**

The 27th May, 2026

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following service, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the Authority	Name of Service	Time limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority	No Objection Certificate/Permission for making of Borewell(s) for abstraction of groundwater	45 Days	Chief Technical Officer concerned	Chief Hydrologist	Chief Executive Officer

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.